संख्याः 158/P/XXIV-3/11/02(103)/2011

प्रेषक,

जी0पी0तिवारी,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः22दिसम्बर, 2011

विषयः **राजकीय इण्टर कॉलेज, विनकखाल, (भिलंगना) टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति संबंधी।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/58173/जीर्ण–शीर्ण/2011–12 दिनांकः 22 अक्टूबर, 2011 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कॉलेज विनकखाल, (भिलंगना) टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, टिहरी द्वारा गठित आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 85.04 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचित्यपूर्ण धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 15.00 लाख (रू0 पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(5) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(6) आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

क्रमशः–2–

(8) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(9) उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII(7)/2008 दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0 यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 11–राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 342 **(P)**XXVII(3)2011-12 दिनांकः 19 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव

**पृष्ठांकन संख्याः 158/P/XXIV-3/11/02(103)/2011 तददिनांक।**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।
7– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
8– जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
9– कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
11– बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12– वित्त विभाग (अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– सम्बन्धित निर्माण एजेंसी।
15– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( जी0पी0तिवारी )
अनुसचिव।